

उम्प्र० । विद्वान् सभा के अधीनस्थ सदस्यों द्वारा एक नीरजरोप्ता के
एक लघु अधिकार की प्रौढ़ घटना राज्य सभा का
३५। अगस्त २०१९

1

प्रस्तुप 2 ग

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन

①

13.30

~~१४८७~~
14.08.19



रसीट संख्या -
०७८७३९ हसा
दिनांक - ०९/०८/२०१९ को
रूपये - १०,०००/- माला
(५९५ये दस्त हजार) माला
प्राप्त किया।
मिस्टर
१४/०८/२०१९

भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम नीरजरोप्ता पिता/माता/सप्ति का नाम चंद्रशेखर

उसका डाक पता ब्राह्मिक पट्टी

बैलवरा रोड

बालिया

उत्तर प्रदेश

उसका नाम ३५४ - बैलवरा रोड विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
नामावली के भाग सं ० १५५ में क्रम-संख्या १८९ पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी

क्रम-सं ०	गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	२११ कल्याणपुर	श्रीमती नीरजरोप्ता माटेमाट	नीरजरोप्ता	१३-८-२०१९
2	१६९ बरवरी का गालाव	श्री अविनाश विवेदी	अविनाश विवेदी	१३-८-२०१९
3	२२० कालपी	श्री कुमार नरेन्द्र पाल सिंह	कुमार नरेन्द्र पाल सिंह	१३-८-२०१९
4	४०१ शावट्सिंगंज	श्री भृपेश चौधेरी	भृपेश चौधेरी	१३-८-२०१९
5	२५० शनीगंज	श्री अभय कुमार उर्फ भीरु ओझा	अभय कुमार उर्फ भीरु ओझा	१३-८-२०१९
6	२६७ रामनगर	श्री शारद कुमार अवस्थी	शारद कुमार अवस्थी	१३-८-२०१९
7	१७१ लखनऊपुरिया	श्री सुरेश कुमार शीवाल्लभ	सुरेश कुमार शीवाल्लभ	१३-८-२०१९
8	२६६ कुसी	श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा	साकेंद्र प्रताप वर्मा	१३-८-२०१९
9	०९ आगरा उत्तर	श्री पुरुषोत्तम रंगेलवाल	पुरुषोत्तम रंगेलवाल	१३-८-२०१९
*१०	६१ नोरडा	श्री पंकज सिंह	पंकज सिंह	१३-८-२०१९

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।


मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने ५० वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की मई हूँ;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/मामा/सप्ति का नाम) ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विधमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख १४-८-२०१९


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक

लागू १२

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू १५

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) लागू १३

लागू १३

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू ११

लागू नहीं

(vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुमानि) की राशि उपदर्शित करें] लागू नहीं

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू १४

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हाँ/नहीं लागू १२

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां लागू नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे लागू १३

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं

लागू नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)लाइन 12

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृतिलाइन 13

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, धारित पद के बौरे.....लाइन 14

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है.....लाइन 15

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषंक्त के अधीन है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, बौरे दिजिए.....लाइन 16

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है ?

(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरहित किये जाने की अवधि.....लाइन 17

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत किया गया है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख.....लाइन 18

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा

(संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के बौरे.....लाइन 19

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?(हाँ/नहीं)


-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे.....लाइन 20

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है ?(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरहित की तारीख.....लाइन 21

स्थान : लाइन 21

तारीख : १५-८-२०१०


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-3


(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या 1

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में 14 - 08 - 2019... (तारीख) को .. 13:30... (बजे)

*अध्यर्थी/प्रत्यापक एस जा शर्वर (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 14 - 08 - 2019..


रिटर्निंग आफीसर

टिप्पण : -जहां कहीं अनुकूल्य दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :

तारीख

रिटर्निंग आफीसर

उमा प्र० 1 वेदान सभा के अधिकारी, उत्तरके छारा, अनिवार्य काला के लिए उपचार अनिवार्य
हेतु भाज्य सभा का ३५ निर्देशन 2019

प्रस्तुप 2 ग

②

13.32

१४८६
१४.०८.१९

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम चौराजाहोरवर पिता/माता/पति का नाम चौराजाहोरवर

उसका डाक पता इन्हाइमप्लानेट

बैलप्रदानीड

बालिया

उसका नाम ३५७- लेट्युड रोड विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
नामावली के भाग सं० ३५७- कैम्पस में कम-संख्या १८९ पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, ऐसा कि नीचे उपर्युक्त किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी

कम-सं०	गई सूची में प्रविष्ट कम	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	135- ब्राह्मणपुर	श्री सुरेश कुमार रवता	20/08/2019	14-8-2019
2	173- लरवनकुपुर	श्री आशुतोष टड़न "जोपला"	20/08/2019	14-8-2019
3	304- ढासी	श्री जग प्रताप सिंह	20/08/2019	14-8-2019
4	126- अंबला	श्री विमल शर्मा	20/08/2019	14-8-2019
5	386- शिवपुर	श्री अनिल शर्मा	31/07/2019	14-8-2019
6	298- कैलरांज	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	20/08/2019	14-8-2019
7	40- नौगंवा लाला	श्री चेतन चौधारा	20/08/2019	14-8-2019
8	36- लिलासपुर	श्री बलदेव सिंह "अलका"	20/08/2019	14-8-2019
9	366- जानपुर	श्री विरीष चन्द्र यादव	20/08/2019	14-8-2019
*10	271- झट्टाली	श्री रामनन्द यादव	20/08/2019	14-8-2019

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन में मारतीएचनापाट्टा दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/सभी की मई हूँ;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर छिट्ठी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निराहित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 14-8-2019

Rishabh
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
 (क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
 यदि उत्तर “हां” में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
 (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यां ८०८०/१६
 (ii) पुलिस थाना (थाने) ८०८०/१६ जिला (जिले) ८०८०/१६ राज्य ८०८०/१६
 (iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ८०८०/१६
 (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) ८०८०/१६
 (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ८०८०/१६
 (vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें] ८०८०/१६
 (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ८०८०/१६
 (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हां/नहीं ८०८०/१६
 (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशेषित्यां ८०८०/१६
 (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे ८०८०/१६
 (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं ८०८०/१६

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लाइन 1

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लाइन 2

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के बौरे लाइन 1

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है लाइन 2

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, बौरे दीजिए लाइन 3

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है ?

(हां/नहीं)

-यदि हां, निरहित किये जाने की अवधि लाइन 4

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत

किया गया है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख लाइन 5

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान सविदा

(संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माला के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा

किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान सविदा (ओं) के बौरे लाइन 6

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है

जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे लाइन 7

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, निहर्ण की तारीख लाइन 8

स्थान : लखनऊ

तारीख : 14-8-2019

B. Bhelkar
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-3

(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या 2

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में 14-08-2019 (तारीख) को / 3 : 32. (बजे)

*अध्यर्थी/प्रस्थापक नीरज शेखर (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 14-08-2019

Q/86/

रिटर्निंग आफीसर

टिप्पण :- जहां कहीं अनुकल्प दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :

तारीख

रिटर्निंग आफीसर

उत्तर प्रदेश राज्य सभा के निर्वाचन केंद्रों में छात्र विद्युत शिक्षक के लिए एक शैक्षणिक ग्रन्थ है।

1

राज्य सभा का ३५ अंशोंक २०१९

प्रस्तुति २ ग

(३)

१३-३३

४३६
१७.०८.१९

(नियम ४ देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



भाग-१

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम नीरज शोरवर पिता/माता/पति का नाम यदुशेषरवर

उसका डाक पता इलाहाबाद पट्टी

क्षेत्रपाल

कालिया

उसका नाम ३५७, क्षेत्रपाल

विधान सभा/संसदीय-निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक

नामावली के भाग सं० १५५ में क्रम-संख्या १४९ पर

प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम-सं०	गई सूची में प्रविष्ट क्रम संख्यांक			
१	२	३	४	५
१	१७२- भैखनकुमार तिवारी	१३० नीरज लोरा	नीरज	१३-०८-२०१९
२	१६३- सफ्लीपुर (अ०ग्नि) श्रीलक्ष्मा लाल	सफ्लीपुर (अ०ग्नि) श्रीलक्ष्मा लाल	सफ्लीपुर (अ०ग्नि) श्रीलक्ष्मा लाल	१३/०८/२०१९
३	३६१- लालेमा नगर	श्रीमि आनन्द लक्ष्मण	श्रीमि आनन्द लक्ष्मण	१३-०८-२०१९
४	३०५- हटवा	डा. सतीश चन्द्र द्विदी	डा. सतीश चन्द्र द्विदी	१३-०८-२०१९
५	२७०- दरियाबाद	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	१३-०८-२०१९
६	३२२- गोरखपुर शहर	डा. राधा मोहन दास अग्रवाल	डा. राधा मोहन दास अग्रवाल	१३-०८-२०१९
७	१७७- बद्रावां (अ. ज.)	श्री राम नरेश रावत	श्री राम नरेश रावत	१३-०८-२०१९
८	२४१- भूयाहार	श्री विकास गुप्ता	श्री विकास गुप्ता	१३-०८-२०१९
९	२९५- मेहनौर	श्री विनय कुमार द्विदी	श्री विनय कुमार द्विदी	१३-०८-२०१९
*१०	३६०- झेपना	श्री उपेन्द्र तिवारी	श्री उपेन्द्र तिवारी	१४-०८-२०१९

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने ५० .. वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की-गई हूँ;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान छिवार्पिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख १४-८-२०१९

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये

उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हाँ” में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ८८६३२८

(ii) पुलिस थाना (थाने) ८८६३२८ जिला (ज़िले) ८८६३२८ राज्य ८८६३२८

(iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का सक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ८८६३२८

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) ८८६३२८

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ८८६३२८

(vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें] ८८६३२८

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ८८६३२८

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध, कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हाँ/नहीं ८८६३२८

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां ८८६३२८

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे ८८६३२८

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं ८८६३२८

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ३५३१

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति ३५३१

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, धारित पद के बौरे ३५३१

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है? ३५३१

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, और दीजिए ३५३१

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है? (हाँ/नहीं)

(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरहित किये जाने की अवधि ३५३१

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख ३५३१

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के बौरे ३५३१

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कप्यनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से छिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? (हाँ/नहीं)


-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे ३५३१

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निहर्न की तारीख ३५३१

स्थान : लखनऊ

तारीख : १५-८-२०१७


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-3

(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या 3

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में 14-08-2019 (तारीख) को 13:33. (वजे)

*अध्यर्थी/प्रस्तावक नीरज ठोस्कर (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 14-08-2019

१४०

रिटर्निंग आफीसर

टिप्पणि :-जहाँ कहीं अनुकूलत्पद दिये गये हैं वहाँ लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की थारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :

तारीख 14-08-2019

रिटर्निंग आफीसर

उम्मीदवार नाम के अधीन लिखें इसके ऊपर या नीचे लिखें। इसके लिए उपर या नीचे लिखें।

देश सभा विधायिका द्वारा दो विधायिका के लिए उपर या नीचे लिखें।

देश सभा विधायिका द्वारा दो विधायिका के लिए उपर या नीचे लिखें।

देश सभा विधायिका द्वारा दो विधायिका के लिए उपर या नीचे लिखें।

७

13.34

४८६
14.08.19

प्रस्तुति 2 ग

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम नीरज शेरवर पिता/माता/पति का नाम चंद्र शेरवर

उसका डाक पता इलाहाबाद पट्टी

बैलपुर रोड

बाबीगढ़ा

उत्तरप्रदेश

उसका नाम ३५७ - बैलपुर रोड विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक

नामावली के आग सं० १५५ में क्रम-संख्या १८९ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी

क्रम-सं०	गई सूची में प्रविष्टि क्रम	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
संख्यांक				
1	२४७ - परमाणुर	श्री सुभाष लिपाठी "स्टडीनेट"	सुभाष लिपाठी ४८६	13-8-2019
2	४४ - उमारा लक्ष्मण	श्री श्रीगंगडु उपाध्याय	श्रीगंगडु ४८६	13-8-2019
3	१५७ - दरगांव उमारा	श्री सुरेता राई	सुरेता राई	13-8-2019
4	१८८ - सुलतानपुर	श्री सुर्यमान सिंह	सुर्यमान सिंह	13-8-2019
5	३९८ - झुनार	श्री अनुराग सिंह	अनुराग सिंह	13-8-2019
6	२२५ - डौरोहा	श्री जगद्वार लला राजपूत	जगद्वार लला राजपूत	13-8-2019
7	१५९ - बिस्को	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	महेन्द्र प्रताप सिंह	13-8-2019
8	२१९ - मार्दीगढ़	श्री गूलचन्द्र सिंह निरंजन	गूलचन्द्र सिंह निरंजन	13-8-2019
9	१५३ - मिलिरव (अंगारा)	श्री राम कृष्ण भागीरथ	राम कृष्ण भागीरथ	13-8-2019
*१०	५७ - बैठकैन्टोनमेंट	श्री सत्यम प्रकाश अग्रसल "बैठकैन्टोनमेंट"	सत्यम प्रकाश अग्रसल "बैठकैन्टोनमेंट"	13-8-2019

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।


मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने 50 वर्ष की (आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन में भारतीय उम्मीदवार दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ खड़ी की गई हूँ;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर (ट्रैटर) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ड) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अहित हूँ और निर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊँगा।

तारीख 14-8-2019


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
 - (क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या
 - (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
यदि उत्तर “हां” में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ५५२७६
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ५५२५५ जिला (जिले) ५५२५५ राज्य ५५२५३
- (iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ५५२५६
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) ५५२५८
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ५५२५९
- (vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें] ५५२६०
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ५५२६१
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हां/नहीं ५५२६२
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां ५५२६३
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे ५५२६४
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं ५५२६५

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) मार्च १६

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लाइन

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, धारित पद के बौरे मार्च १६

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मेचित कर दिया गया है? मार्च १६

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुशक्ति के अधीन है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, बौरे दीजिए लाइन

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है?

(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरहित किये जाने की अवधि लाइन

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख मार्च १५

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्वान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्वान संविदा (ओं) के बौरे लाइन २५

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे लाइन ३५

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निहर्ण की तारीख मार्च २५

स्थान : लाइन ३७

तारीख : १८-८-२०१९

Bhushan
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-3

(रिटार्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या 4
 यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय से 14-08-2019 (तारीख) को 13:34 (बजे)
 *अध्यर्थी/प्रस्तावक भीरुज शर्मा (नाम) द्वारा परिवर्त्त किया गया।

तारीख 14-08-2019

ABD

रिटार्निंग आफीसर

टिप्पणी - जहाँ कहीं अनुकूल्य दिये गये हैं वहाँ लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटार्निंग आफीसर का विनिश्चय
 मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
 और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :

तारीख

रिटार्निंग आफीसर

भारतीय गैर ज्यायिक

दस
रुपये

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

Lalta Prasad Chaurasia
Advocate & Notary
82, Ram Gopal Vidyant Road
Lucknow U.P. (INDIA)
Regd. No. 31/32/2000

NOTARIAL

NOTARIAL

UTTAR

भारत
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 967788

ATTACHED



प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

LALTA PRASAD CHAURASIA

Advocate & Notary
82, Ram Gopal Vidyant Road
Lucknow U.P. (INDIA)
Regd. No. 31/32/2000

उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

राज्य सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम—निर्देशन—पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र

भाग—क

मैं, नीरज शेखर **पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रशेखर आयु 50 वर्ष, जो ग्राम व पोस्ट—इब्राहिमपट्टी, जनपद—बलिया (उ०प्र०) (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अध्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**)जो लागू न हो उसे काट दें।

(2) मेरा नाम 357 बेल्थरा रोड (उ०प्र०) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 155 के क्रम सं० 189 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9810082626 सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और neerajshekhar.bjp@gmail.com मेरा ई—मेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।

(i) fb.mc/MPNeerajshekhar

(ii) शून्य

(iii) शून्य

Neeraj Shekhar

२६९८

१०१

परमा

नवाच भुक्ता राज्य विक्रेता
तिथि २५/३/२०२१

आवासीय वास्तु की विक्री के लिए अधिकारक
दस्तावेज़ दिया गया है।

०९८०६१२०६७

वीरा ५२०८८०२८५९२१०८

वीरा f

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय—कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्र०-सं०	नाम	पी०ए०एन० (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)	
1	स्वयं नीरज शेखर	ABAPS5040H	2017-18	(i) 2017-18 (ii) 2016-17 (iii) 2015-16 (iv) 2014-15 (v) 2013-14	6,48,200.00 6,29,700.00 7,40,860.00 3,32,240.00 7,94,330.00
2	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	AIMPS9626C	2017-18	(i) 2017-18 (ii) 2016-17 (iii) 2015-16 (iv) 2014-15 (v) 2013-14	20,20,190.00 34,37,950.00 20,54,640.00 26,76,540.00 8,84,360.00
3	हिन्दू अवभक्त कुटुम्ब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
4	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	CXPPS6878C	शून्य	शून्य	
5	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	CXPPS6769A	शून्य	शून्य	
6	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

टिप्पणी : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आझापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिये कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवर्तित नहीं हुआ है।"



Bukhar

378115

(5) लम्बित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)✓

या

- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित हैं :— लागू नहीं होता है

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लम्बित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिलाएटिल सं०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अन्तर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हाँ है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



LALITA PRESS & STAMPS
Advocate & Notary
42, Ram Gopal Vidyant Road
Lucknow U.P. (INDIA)
Regd. No. 3132/2000

Dhruv

(6) दोषसिद्धि के मामले।-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)✓

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्धि किया गया है :— लागू नहीं होता

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अन्तर्वालित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिये दोषसिद्धि किया गया है	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दण्ड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रारिथति दें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है **लागू नहीं होता है।**

[एस. अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिये]

Bhukhar

LALTA P. ✓ 1318119
82, Raja Devi Singh Marg, (199)
Kanpur, U.P. 208001
Ph. 0522 236001

1318119



टिप्पण :-

- 1— व्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिये।
- 2— प्रत्येक भद्र के सामने विभिन्न स्तम्भों के अधीन प्रत्येक मामले के लिये व्यौरे पृथक रूप से दिये जाएं।
- 3— व्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिये, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिये तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
- 4— यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
- 5— अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0-536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के व्यौरे नीचे देता हूँ।

क—जंगम आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण—1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण—2 जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण—3—सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बन्धपत्रों/शेयर डिबंचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार, मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण—4—“आश्रित” से अभ्यर्थी के माता—पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित है।

टिप्पण—5—रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिये जाने हैं।

टिप्पण—6—व्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिये।

स्पष्टीकरण :— इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए “अपतट आस्तियों” पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं;

क्र० सं०	विवरण	ख्यं नीरज शेखर	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	हिन्दू अविभक्त कुदुम्ब	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	45,000.00	60,000.00	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	54,25,173.00 1-SBI, पार्लियमेंट हाउस, नई दिल्ली-1 A/C-30331523545 2-स्टैर्क चार्टड बैंक, मालवा मार्ग, नई दिल्ली-11 A/C-52410121513 A/C-53010198029	26,00,714.00 स्टैर्क चार्टड बैंक, मालवा मार्ग, नई दिल्ली-11 A/C-52410121513	लागू नहीं होता	1,79,185.00 स्टैर्क चार्टड बैंक, मालवा मार्ग, नई दिल्ली-11 A/C-52410121513	3,27,735.00 स्टैर्क चार्टड बैंक, मालवा मार्ग, नई दिल्ली-11 A/C-52410228741	लागू नहीं होता
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	MF Rs. 58,31,000.00	MF Rs. 47,61,096.00	लागू नहीं होता	MF Rs. 39,05,615.00	MF Rs. 36,97,184.00	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान, और रकम	PPF Rs. 24,00,000.00 LIC 17,99,408.00	PPF Rs. 21,00,000.00 LIC 17,52,836.00	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक क्रठण/अग्रिम और क्रणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान वाहन/ वायुयान /याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	Camry DL- 2C-AV-9001, 2016 Delhi Rs. 35,00,000.00	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	130 तोला सोना Rs. 39,20,000.00	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/ हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	15500581.00	18694646.00	लागू नहीं होता	4084800.00	4024919	लागू नहीं होता

13/8/19
Dreher

ख-स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी-1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी-2—प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-3—ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिये।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं नीरज शेखर	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	हिन्दू अधिवक्ता कुटुम्ब	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	(अ) इश्वाहिमपट्टी, बेलथरा रोड, बलिया गाठा सं0-76 (ब) भिण्डलखनसिंहा, बेलथरा रोड, बलिया गाठा सं0-13 (स) मोहन लालगंज, नूपुर बेहन्ता, लखनऊ खसरा सं0-104, 105, 109	(अ) मोहन लालगंज, नूपुर बेहन्ता, लखनऊ खसरा सं0-16 9	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	(अ) 0.875 एकड़ (ब) 0.375 एकड़ (स) 0.4450 एकड़	(अ) 0. 253 हेठो	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	(अ) हाँ (ब) हाँ (स) नहीं	(अ) नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	(अ) लागू नहीं होता (ब) लागू नहीं होता (स) 21.04.2015	(अ) 31. 05.2017	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	(अ) लागू नहीं होता (ब) लागू नहीं होता (स) 567600.00	(अ) 1000 000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विविधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

LALITA PRASAD CHAKRASIA
Advocate & Notary
52, Ram Gopal Vidyant Road
Lucknow U.P. (INDIA)
Regd. No. 30/32/2000

Drikhaar

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	(a) 800000.00 (b) 300000.00 (c) 700000.00	(a) 1500000 .00	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	(a) Plot No. A-62, Khasra No. 471 Vill.-Hariharpur Pargana-Bijnaur, Lucknow (b) Plot No.A-122, Khasra No. 473 Vill.-Hariharpur Pargana-Bijnaur, Lucknow (c) Plot No.A-31, V Code-1043 Vill.-Hariharpur Pargana-Bijnaur, Lucknow	Arazi No. 202/46 Gopalpur Sadar, Varanasi	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	(a) 3200 sqft. (b) 3200 sqft. (c) 2451 sqft.	19040 sqft	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	(a) नहीं (b) नहीं (c) नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	(a) 22.04.2015 (b) 22.04.2015 (a) 04.08.2015	19.03.20 05	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	(a) Rs. 2182000.00 (b) Rs. 2331000.00 (c) Rs. 1712000.00	Rs. 300000. 00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	Rs. 200000. 00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	(a) Rs. 2500000.00 (b) Rs. 2600000.00 (c) Rs. 2000000.00	Rs. 550000. 00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता


(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	Jointly with Spouse (50%-50%)		Jointly with Spouse (50%-50%)		लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
		A-The Forest SPA, Sector 93B, Noida Expressway- 402, Tower A	B- Edge Tower & Primeera, amaprasstha Gurgaon, Harayana	A-The Forest SPA, Sector 93B, Noida Expressway- 402, Tower A	B- Edge Tower & Primeera, amaprasstha Gurgaon, Harayana				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1948.934 sqft.	2300.00 sqft.	1948.934 sqft.	2300.00 sqft.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1948.934 sqft.	2300.00 sqft.	1948.934 sqft.	2300.00 sqft.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	12.03.2008	30.11.2013	12.03.2008	30.11.2013	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	52,50,000.00	63,72,150.00	52,50,000.00	63,72,150.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्णय आदि के माध्यम सम्पत्ति कोई विनिधान	के से पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	60,00,000.00	67,501,50.00	60,00,000.00	67,501,50.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(iv)	आचासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या	(a) Ibrahim Patti Belthara Road, Ballia Gata No. 245 (b) Rampur Mahaya, Ballia Sadar,	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं
------	---	--	-------	----------------	-------	-------	-----------

LALITA PRASAD 20/11/2019

82, Ram Gopal Nagar, Road,
Lucknow U.P., INDIA
R. N. No. 313262epu

Dinkhan



		No.-18					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	(a) 5445 sqft. (b) 2433.7 sqft.	लागू नहीं होता				
	निर्भित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	(a) 3897.868 sqft. (b) 1500.00 sqft.	लागू नहीं होता				
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	(a) हाँ (b) नहीं	लागू नहीं होता				
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर काइ विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	(a) 10,00,000.00 (b) 50,00,000.00	लागू नहीं होता				
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति मैं हित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बाजार मूल्य	18414750.00	13122150.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं नीरज शेखर	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	हिन्दू अविभवत कुदुम्ब	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण को प्रकृति	First Lucar Pvt. Ltd. (As on 31.03.2019) Rs. 60,00,000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पर्वोक्त वर्णित से भिन्न, किरण, अन्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	व्याप्तिकों निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति			होता			होता
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	Rs. 60,00,000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को शोध्य	k. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास के अधिभाग में हैं ? 'हाँ' ख. यदि उपरोक्त (k) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :- (i) सरकारी आवास का पता : 3. गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-11001 (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध्य संदेय नहीं है :- (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ) 07 अगस्त, 2019 (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अन्तिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिये] टिप्पणि :- उपरोक्त सरकारी आवास के लिये भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत सम्बन्धित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिये।		✓ हाँ / नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगायें)			
(iii)	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को शोध्य (जिसके अन्तर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		स्वयं नीरज शेखर	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	जी0एस0टी० शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	नगर पालिका / सम्पादि कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(vii)	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं होता					
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	व्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अन्तर्विलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लम्बित है, उल्लेख करें।	लागू नहीं होता					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं – नीरज शेखर, समाजसेवा, सांसद वेतन भत्ता
 (ख) पत्नी – सुषमा शेखर, वेतनभोगी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरों :

- (क) स्वयं – नीरज शेखर, समाजसेवा, सांसद वेतन भत्ता
 (ख) पत्नी – सुषमा शेखर, वेतनभोगी
 (ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हो – लागू नहीं होता

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं –

- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे – लागू नहीं होता
 (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे – लागू नहीं होता
 (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे – लागू नहीं होता
 (घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे – लागू नहीं होता
 (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं – लागू नहीं होता
 (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हिस्सा है – लागू नहीं होता

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

परीक्षा	विद्यालय का नाम	परीक्षण संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष

हाईस्कूल	मार्डन स्कूल, नई दिल्ली	सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली	1985
इण्टरमीडिएट	मार्डन स्कूल, नई दिल्ली	सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली	1987
स्नातक	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, नई दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली	1990

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विधालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)



Dhukhan

~~VALTA PRASAD CHAIKARASIA~~
Advocate & Notary
82, Ram Chandra Vyant Road
Lucknow (U.P.) (INDIA)
Regd. No. 3132/2000
B/18

भाग—ख

(11) भाग—क के (1) से (10) तक में दिये गये व्यौरों का सारांश :

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु0 नीरज शेखर					
2	डाक का पूरा पता	ग्राम व पोस्ट—इब्राहिमपुर पट्टी, जनपद—बलिया (उ0प्र0)					
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	357, बेल्थरा रोड, उत्तर प्रदेश					
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	भारतीय जनता पार्टी					
5	लम्बित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	शून्य					
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	लागू नहीं होता					
7		स्थायी लेखा सं0 (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी – नीरज शेखर	ABAPS5040H	2018-19	6,48,200.00			
	(ख) पति या पत्नी – सुषमा शेखर (पत्नी)	AIMPS9626C	2017-18	20,20,190.00			
	(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
	(घ) आश्रित – I - नवेली शेखर (पुत्री) – II - रान्या शेखर (पुत्री)	I - CXPPS6878C II - CXPPS6769A	शून्य शून्य	शून्य शून्य			
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे –						
	विवरण	स्वयं नीरज शेखर	पति या पत्नी सुषमा शेखर (पत्नी)	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1 नवेली शेखर (पुत्री)	आश्रित-2 रान्या शेखर (पुत्री)	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,55,00,581.00	1,86,94,646.00	लागू नहीं होता	4084800.00	4024919.00	लागू नहीं होता
ख	स्थावर आस्तियां						
	i.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	1,84,14,750.00	1,31,22,150.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास / सन्तुलित कीमत (यदि लागू हो)	शून्य	2,00,000-00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	iii.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत—					
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	2,65,50,000.00	1,48,00,000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	71,00,000.00	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Deshkar

9-	दायित्व						
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	60,00,000.00	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :						
	स्नातक	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, नई दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली	1990			
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 13.8.2019 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

Sworn and Verified
before me,

15

LALITA PRASAD CHHABRA
Advocate & Notary
82, Ram Gopal Vidyant Road
Lucknow U.P. (INDIA)

Identify the deponent, excepted
who has given signature below

टिप्पण : 1—शपथ—पत्र नामांकन फाइल करने के अन्तिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2—शपथ—पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3—सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4—शपथ—पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ—साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5—शपथ—पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, शपथ—पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ—पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टाम्प होनी चाहिये।



Bhukhar

LALITA PRASAD SURASIA
Advocate & Notary
82, Ram Gopal Vijayan Road
Lucknow-226001, U.P., INDIA
Regd. No. 30132/2000

पी0एस0यू0पी0—एल0 104 विधान सभा (170)—30—7—2019—100 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

प्ररूप 7 ख

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 10 (1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री नीरज शेखर के रिक्त
स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के लिये उप निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी की फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता
1	2		3	4

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी

1. नीरज शेखर, श्री



इब्राहिम पट्टी,
बेलथरा रोड,
बलिया, उत्तर प्रदेश

भारतीय
जनता पार्टी

स्थान: विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक: 19 अगस्त, 2019

Q/Z/1
(बृजभूषण दुबे)
रिटर्निंग आफिसर,
एवं
विशेष सचिव, विधान सभा।

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या: 1094 / वि०स० / प०का० / 43(प) / 2019

दिनांक 19 अगस्त, 2019

- प्रतिलिपि पांच अंग्रेजी प्रति सहित, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित(फैक्स संख्या 011- 2305 2525),
- प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं सरकारी गजट में तुरन्त प्रकाशनार्थ प्रेषित,
- प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित, उपर्युक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित।

Q/Z/1
(बृजभूषण दुबे)
रिटर्निंग आफिसर,
एवं

FORM 7 B

[See Rule 10(1) Of The Conduct Of Elections Rules, 1961]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of Shri Neeraj Shekhar.

Sl. No.	Name of candidate	Photograph of candidate	Address of candidate	Party Affiliation
1	2		3	4

Candidates Of Recognised National And State Political Parties

1. **Neeraj Shekhar,**
Sri.



Ibrahim Patti, Belthara Road, Ballia, Uttar Pradesh Ibrahim Patti, Belthara Road, Ballia, Uttar Pradesh

Bhartiya Janta Party

Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 19, 2019.



B.B.Dubey
(BRIJBHUSHAN DUBEY)
RETURNING OFFICER
AND
SPECIAL SECRETARY
LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTAR PRADESH

प्रस्तुप 21 ख

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 11 (1) देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

श्री नीरज शेखर के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पटित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री नीरज शेखर,

इब्राहिम पट्टी, बेल्थरा रोड, बलिया, उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं,

उस सदन में श्री नीरज शेखर के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक: 19 अगस्त, 2019.



(बृजभूषण दुबे)

रिटर्निंग आफिसर

एवं

विशेष सचिव, विधान सभा।

संख्या: १७९६/विभाग/प्रकाश/४३(प)/२०१९

दिनांक 19 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं 011-2305 2525),
2. सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय(विधायी विभाग), नई दिल्ली (फैक्स सं 011-2338 4054),
3. महासचिव, राज्य सभा सचिवालय(कमरा नं 33, टेबुल आफिस), संसद भवन, नई दिल्ली (फैक्स सं 011-2379 2940),
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. निर्वाचित अभ्यर्थी,
6. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ,
7. निदेशक(समाचार), दूरदर्शन, लखनऊ,
8. महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली

को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।

(बृजभूषण दुबे)

रिटर्निंग आफिसर

एवं

विशेष सचिव, विधान सभा।

FORM 21 B

[See rule 11(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53 of the Representation of People Act, 1951.

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of Sri Neeraj Shekhar

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sri Neeraj Shekhar,
Ibrahim Patti, Belthara Road, Ballia, Uttar Pradesh Ibrahim Patti,
Belthara Road, Ballia, Uttar Pradesh, sponsored by Bhartiya Janta
Party,

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Neeraj Shekhar

B. B. Dubey

(Brijbhushan Dubey)
Returning Officer

And
Special Secretary,
Legislative Assembly,
Uttar Pradesh



Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 19, 2019.

**उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री नीरज शेखर
के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा का उप निर्वाचन-2019**

संक्षिप्त विवरण

1. उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री नीरज शेखर के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के उप निर्वाचन की लोकसूचना (प्ररूप-1) हिन्दी में दैनिक समाचार पत्र “दैनिक जागरण” तथा PUBLIC NOTICE (FORM-1) अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र “THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW” के दिनांक 07 अगस्त, 2019 के अंक में प्रकाशित करायी गयी।
2. दिनांक 14 अगस्त, 2019 को श्री नीरज शेखर द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु चार सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
3. उक्त सभी नामांकन-पत्रों को निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 7 के अनुसार प्ररूप 3ख/FORM 3B में नामांकन दाखिल किये जाने की सूचना तैयार कराकर दाखिल करने वाली तिथि को ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया तथा उसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को भेज दी गयी।
4. उक्त सभी नामांकन-पत्र, फार्म-26 तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नाम-निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पदा, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी दाखिल किये जाने वाले शपथ-पत्र (प्ररूप-26) की छाया प्रतियां नामांकन-पत्र दाखिल करने वाली तिथि को ही जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को तथा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।
5. दिनांक 16 अगस्त, 2019 को पूर्वाहन् 11.00 बजे श्री नीरज शेखर द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की गई। संवीक्षा में श्री नीरज शेखर द्वारा दाखिल नामांकन पत्र वैध पाये गये।

6. संवीक्षा के उपरांत विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार प्ररूप-4 (हिन्दी में) / FORM-4 (अंग्रेजी में) तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा उसकी दो-दो प्रतिलिपि प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई।

7. दिनांक 19 अगस्त, 2019 को अपराह्न 03.00 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस न लिये जाने के फलस्वरूप निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 10 (1) के अनुसार प्ररूप 7 ख (हिन्दी)(संलग्न) / FORM 7B (संलग्न) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराकर प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित की गई।

8. तदुपरान्त निर्वाचन का परिणाम प्ररूप 21 ख (हिन्दी) (संलग्न) / FORM 21 B (अंग्रेजी)(संलग्न) में तैयार करा कर रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित किया गया ।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
 प्रमुख सचिव कार्यालय
 विधान सभा सचिवालय
 द्वारा संख्या 1425
 दिनांक 02/08/2019

किट्टनपट्टव

गठी८

प्रमुख सचिव(1) विधान सभा, उत्तर प्रदेश

५००७०१७

प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया
 ४३६०२०१९

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री नीरज शेखर द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन कराये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है:-

- (1) नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक-
- (2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-
- (3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-
- (4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-
- (5) मतदान का दिनांक-
- (6) मतदान का समय
- (7) मतगणना का दिनांक-
- (8) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा।

स्थान-लखनऊ

दिनांक: 01.08.2019

प्रेस-नोट

07 अगस्त, 2019 (बुधवार)
14 अगस्त, 2019 (बुधवार)
16 अगस्त, 2019 (शुक्रवार)
19 अगस्त, 2019 (सोमवार)
26 अगस्त, 2019 (सोमवार)
9.00 बजे पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराह्न तक
26 अगस्त, 2019 (सोमवार) साथ 5.00 बजे से
28 अगस्त, 2019 (बुधवार)

(एल० वेंकटेश्वर ल०)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 1425(1)/सी०ई०ओ०-२-तद०दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार एत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(रमेश चन्द्र राय)
 संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।